संख्या-110/2022/1874/सैंतीस-2-2022/001-1(35)/2014

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(अंकित विवरणानुसार),
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-17 अक्टूबर, 2022

विषयः- **आर.आई.डी.एफ.-26 में नाबार्ड द्वारा अनुमोदित 71 पशुचिकित्सालयों के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0-338/सा0-1/एक्स-120(188)/आर.आई.डी.एफ.-26/2020-21, दिनांक-16.09.2022 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या-90/2022/1341/सैंतीस-2-2022/001-1(35)/2014टीसी, दिनांक-24.08.2022 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-08-पशु चिकित्सालयों का निर्माण-आर.आई.डी.एफ. (जि.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष आर.आई.डी.एफ.-26 में नाबार्ड द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित 71 पशुचिकित्सालयों के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु अवशेष/द्वितीय किश्त 50 प्रतिशत अर्थात् रू0-20.085 लाख प्रति पशुचिकित्सालय की दर से कुल रू0-1426.035 लाख (रूपये चौदह करोड़ छब्बीस लाख तीन हजार पॉच सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

क्र0	पशुचिकित्सालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	धनराशि (लाख में)
1	बरौली कटरा	बरौली अहीर	आगरा	20.085
2	सदर	लोधा	अलीगढ़	20.085
3	सालपुर	टप्पल	अलीगढ़	20.085
4	सैंथा	गौरीगंज	अमेठी	20.085
5	रजबपुर	जोया	अमरोहा	20.085
6	अर्वाकटरा	एरवाकटरा	औरैया	20.085
7	बिधूना	बिधूना	औरैया	20.085
8	सदर	बागपत	बागपत	20.085
9	हर्ख	हरख	बाराबंकी	20.085
10	जैदपुर	हरख	बाराबंकी	20.085
11	नियामतगंज	पूरेडलई	बाराबंकी	20.085
12	ऊधापुर	निन्दूरा	बाराबंकी	20.085
13	मानपुर	शेरगढ़	बरेली	20.085
14	गौर	गौर	बस्ती	20.085
15	बनकटी	बनकटी	बस्ती	20.085

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

16	हरैया	हरैया	बस्ती	20.085
17	जमदशाही	साऊँघाट	बस्ती	20.085
18	रामनगर	रामनगर	बस्ती	20.085
19	साऊँघाट	साऊँघाट	बस्ती	20.085
20	विक्रमजोत	विक्रमजोत	बस्ती	20.085
21	बदापुर	कोतवाली	बिजनौर	20.085
22	बस्ता	जलीलपुर	बिजनौर	20.085
23	चोला	सिकन्द्राबाद	बुलन्दशहर	20.085
24	तौली	अनूपशहर	बुलन्दशहर	20.085
25	चकेरनगर	चकरनगर	इटावा	20.085
26	जसवंतनगर	जसवंतनगर	इटावा	20.085
27	पिपरौली गढ़िया	चकरनगर	इटावा	20.085
28	हलधरमऊ	हलधरमऊ	गोण्डा	20.085
29	परसातीवारी	छपिया	गोण्डा	20.085
30	राजाबाजार	महराजगंज	जौनपुर	20.085
31	सदर	सदर	जौनपुर	20.085
32	गुरसहायगंज	तालग्राम	कन्नौज	20.085
33	इन्दरगढ़	हसेरन	कन्नौज	20.085
34	सौरिख	सौरिख	कन्नौज	20.085
35	पुखरायां	अमरौधा	कानपुर देहात	20.085
36	कसया	कसया	कुशीनगर	20.085
37	खमरिया	ईसानगर	लखीमपुर खीरी	20.085
38	पडरियातुला	बिजुआ	लखीमपुर खीरी	20.085
39	बक्शी का तालाब	बक्शी का तालाब	लखनऊ	20.085
40	इटौंजा	बक्शी का तालाब	लखनऊ	20.085
41	खरेला	चरखारी	महोबा	20.085
42	बेबर	बेबर	मैनपुरी	20.085
43	धौरहरा	मोहम्मदाबाद गोहना	मऊ	20.085
44	मधुबन	फतेहपुर मण्डाव	मऊ	20.085
45	सिकहर	सीखड़	मिर्जापुर	20.085
46	माधोटांडा	पूरनपुर	पीलीभीत	20.085
47	पूरनपुर	पुरनपुर	पीलीभीत	20.085
48	भदारी	कुण्डा	प्रतापगढ़	20.085
49	जामताली	शिवगढ़	प्रतापगढ़	20.085
50	कटरा गुलाब सिंह	मान्धाता	प्रतापगढ़	20.085
51	लक्ष्मणपुर	लक्ष्मणपुर	प्रतापगढ़	20.085
52	लालगंज	लालगंज	प्रतापगढ़	20.085
53	बहादुरपुर	बहादुरपुर	प्रयागराज	20.085
54	चाका	चाका	प्रयागराज	20.085

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

55	जसरा	जसरा	प्रयागराज	20.085
56	मेजा रोड	उरूवा	प्रयागराज	20.085
57	प्रतापपुर	प्रतापपुर	प्रयागराज	20.085
58	सोराँव	सोराँव	प्रयागराज	20.085
59	फतेहपुर	मुजफ्फराबाद	सहारनपुर	20.085
60	गंगोह	गंगोह	सहारनपुर	20.085
61	ननौता	ननौता	सहारनपुर	20.085
62	पहसूँ	रामपुरमनिहारन	सहारनपुर	20.085
63	सुन्हेटीखदखदी	बलियाखेड़ी	सहारनपुर	20.085
64	मनौता	असमोली	सम्भल	20.085
65	जमुका	भावलखेरा	शाहजहांपुर	20.085
66	खुदागंज	खुदागंज	शाहजहांपुर	20.085
67	बिसवां	बिसवाँ	सीतापुर	20.085
68	अखंडनगर	अखण्डनगर	सुल्तानपुर	20.085
69	गड़ाओपुर	लम्भुवा	सुल्तानपुर	20.085
70	ज्ञानीपुर	भदैयां	सुल्तानपुर	20.085
71	धनपतगंज	धनपतगंज	सुल्तानपुर	20.085
योग-				**1426.035**

(रूपये चौदह करोड़ छब्बीस लाख तीन हजार पाँच सौ मात्र)

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी, वह दो माह की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिये। कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

(2) प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(3) जिला योजनाओं के अन्तर्गत जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/निर्धारित मानकों के अधीन किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में जमा किया जाता है जिस पर ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(8) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुये अपितु आवश्यकतानुसार किया जाय। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि से कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों का समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण/अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो, यह सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(13) प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों के अधीन जेम पोर्टल के अन्तर्गत/माध्यम से किया जायेगा।

(14) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में सुसंगत वित्तीय नियमानुसार अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा। आगणन में वर्णित 01 प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(15) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07.06.2022 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 14,26,03,500 (रुपये चौदह करोड़ छब्बीस लाख तीन हजार पांच सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 015 **लेखा शीर्षक** 4403001010800 पशु चिकित्सालयों का निर्माण-आर.आई.डी.एफ. (जिला योजना) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-1-194-X-2022-23, दिनांक-10 अक्टूबर, 2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

<u>प्र0सं0-110/2022/1874(1)/सैंतीस-2-2022/001-1(35)/2014 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- निदेशक (प्रशासन एवं विकास)/वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/कार्यदायी संस्था।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।